झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय : **झारखण्ड सचिवालय सेवा सहायक ग्रेड/झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा निम्नवर्गीय लिपिक ग्रेड/झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा आशुलिपिक ग्रेड (सीधी भर्त्ती प्रतियोगिता परीक्षा) नियमावली, 2012 में निःशक्त व्यक्तियों को दी जानेवाली सुविधाएँ।**

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा सहायक ग्रेड/झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा निम्नवर्गीय लिपिक ग्रेड/झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा आशुलिपिक ग्रेड (सीधी भर्त्ती प्रतियोगिता परीक्षा) नियमावली, 2012 के आलोक में चयन हेतु परीक्षा आयोजित की जा रही है। निःशक्त व्यक्ति (सामान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के आलोक में झारखण्ड राज्य में निःशक्त व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत पद क्षैतिज रूप से आरक्षित है। निःशक्त व्यक्तियों में से अंध/अल्पदृष्टि तथा दोनो हाथ एवं बांह में चलन निःशक्तता (न्यूनतम 40 प्रतिशत) से ग्रसित व्यक्ति को परीक्षा में अवसर की समानता प्रदान करने का एक प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

सम्यक् विचारोपरान्त झारखण्ड सचिवालय सेवा सहायक ग्रेड/झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा निम्नवर्गीय लिपिक ग्रेड/झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा आशुलिपिक ग्रेड (सीधी भर्त्ती प्रतियोगिता परीक्षा) नियमावली, 2012 के नियम–18 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयांग करते हुए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :–

(क) अंध/कम दृष्टि, दोनों हाथ एवं बांह में चलन निःशक्तता तथा सेरेब्रलपाल्सी से ग्रसित अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्त्तों के अधीन लेखक/स्क्राईब की सुविधा प्रदान की जायेगी।

(i) स्क्राईब/लेखक की शैक्षणिक योग्यता भर्त्ती परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से कम से कम एक ग्रेड नीचे हो

(ii) स्क्राईब/लेखक को उनकी अंतिम शैक्षणिक परीक्षा में 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त हो

(iii) स्क्राईब/लेखक की व्यवस्था झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जायेगी। स्क्राईब/लेखक को देय पारिश्रमिक का भुगतान झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जायेगा।

(ख) अंध/कम दृष्टि, दोनों हाथ एवं बांह में चलन निःशक्तता तथा सेरेब्रलपाल्सी से ग्रसित अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्रति घंटा 20 मिनट की दर से अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

(ग) वैसे अभ्यर्थियों जो, जिनकी Locomotor disability & Cerebral palsy से लिखने की क्षमता 40 प्रतिशत से ज्यादा, किन्तु आंशिक रूप से प्रभावित हुई है, उन्हें लेखक रखने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी किन्तु उपर्युक्त कंडिका–'ख' के अनुसार परीक्षा में अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेश : आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

Neho 25/9/2012

(एन०एन० सिन्हा)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7/आ0नीति–04–02/2010 का०–10992/राँची, दिनांक 25/09/12

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को भेजे।

Neho 25/9/2012

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7/आ0नीति–04–02/2010 का०–10992/राँची, दिनांक 25/09/12

प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, रांची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा/राज्यपाल सचिवालय एवं मुख्यमंत्री सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

Neho 25/9/2012

सरकार के प्रधान सचिव।

O/C